

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा एवं स्वा० सेवायें, राजस्थान, जयपुर


क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/

दिनांक:- /04/2017

--: आदेश :-

निदेशालय के आदेश क्रमांक संस्था/चिअ/एटी/प02/17/127 दिनांक 18.04.2017 के द्वारा क्रम संख्या 2 पर अंकित डॉ० अशोक शर्मा, चिकित्सा अधिकारी के आदेश को तुरन्त प्रभाव से प्रत्याहारित (Withdraw) किया जाता है।

फलस्वरूप डॉ० अशोक शर्मा, चिकित्सा अधिकारी, सामु० स्वा० केन्द्र निवाई, टोंक में पूर्व की भांति यथावत कार्यरत रहेंगे।



निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांक:- संस्था/चिअ/एटी/प02/17/133

दिनांक:- 19/04/2017

प्रतिलिपी निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. शासन उप सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग (ग्रुप-2), राजस्थान, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन सम्बन्धित।
5. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी/प्रमुख चिकित्सा अधिकारी सम्बन्धित।
6. संबंधित चिकित्सक को पालनार्थ।
7. प्रभारी केन्द्रीय सर्वर कक्ष, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश को आज ही विभाग की वेबसाईट पर अपलोड करेंगे।
8. आदेश/निजी पत्रावली।


निदेशक (जन स्वास्थ्य)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,
राजस्थान, जयपुर।